

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
पूर्व मध्य रेल /दानापुर

पत्र सं. स्था./वेतन विपत्र /आवास भता/2023

दानापुर, दि. 22.09.2023

सर्वसम्बंधित

पूर्व मध्य रेल /दानापुर

विषय: आवास किराया भता के संबंध में ।

कर्मचारियों को आवास किराया भता प्रदान करने के मामले में यह संज्ञान में आया है कि यूनिट स्तर पर आवास किराया भता प्रदान हेतु कर्मचारियों से अनावश्यक कागजात की मांग की जाती है अतः उपरोक्त मामले में यह स्पष्ट की जाती है कि कर्मचारियों के आवास किराया भता प्रदान करने हेतु निम्नांकित कागजात आवश्यक है ।

1. कर्मचारी द्वारा रेल आवास उपलब्ध कराने हेतु आवेदन ।
2. यदि रेल आवास अनुपलब्ध हो तो उनके आवेदन को प्राथमिकता पंजी में दर्ज कर पूमरे /दानापुर के पत्रांक DRM/DNR/LMJ/Instruction, दिनांक 09.05.2012 के आलोक में आवास भता हेतु प्रपत्र एवं आवासीय पते की घोषणा पत्र ।
3. आवास भता हेतु प्रपत्र पर सम्बंधित कार्य निरीक्षक द्वारा आवास अनुपलब्धता की अभियुक्ति एवं रेल आवास आवंटन समिति द्वारा आवास भता की स्वीकृति ।

उपरोक्त प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, कर्मचारी के आवेदन प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर वेतन विपत्र कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि कर्मचारियों को उसी माह में आवास किराया भता का भुगतान कराया जा सके ।

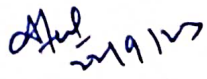
सर्व सम्बंधित शाखा अधिकारियों से अनुरोध है कि अपने अपने यूनिट में उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें ।

संलग्न : आवास भता प्रपत्र एवं घोषणा पत्र का प्रारूप ।


कृते वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल /दानापुर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित ।

1. मुख्य कार्यालय अधीक्षक (सामान्य)-कृपया मंडल रेल प्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ ।
2. निजी सचिव- अ.मं.रे.प्र. (इंफ्रा एवं परि.) कृपया सादर सूचनार्थ ।
3. कर्मचारी यूनियन ईसीआरकेयू/दानापुर को सूचनार्थ ।
4. मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक /दानापुर ।


कृते वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल /दानापुर



पूर्व मध्य रेलवे

सेवा में,

वरिष्ठ गंडल कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेलवे/दानापुर

विषय :- आवास भत्ता के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- पू० म० रे० दानापुर का पत्रांक सं०-DRM/DNR/LMJ/Instruction Dt - 09.05.2012

संदर्भित पत्र के आलोक में स्पष्ट करना है कि श्री

का प्राथमिकता पंजी में क्रमांक नं०..... पर इनका नाम अंकित कर लिया गया है। रेल आवास खाली होने पर ही श्री को जांचित किया जा सकता है।

अतः श्री को दिनांक

से तब तक आवास भत्ता देय है।

अध्यक्ष

रेल आवास आवंटन समिति
पटना

DECLARATION FORM

I declare that I am living at the following Address :-

Flat No. (if any).....
House / Door No.....
Name of Street / Road No.....
Ward No.....P.O.....
P.S.....Distt.....Postal Zone No.....
From.....(date) to this date.

I also declare that I have not refused Railway Accommodation for their,
I am aware that if any of the particulars given above is proved incorrect,
I shall be liable for disciplinary action.

Date.....

Signature.....

Name in full.....

Designation.....

Office.....

Station.....

Note :- In case LTI is given in stead of signature, the should be witnessed by a
Railway Employee and forwarded by the incharge of office concerned.